2025

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04/2025 विविध

दायरी दिनांक : 09.04.2025

उनवान

राज0 राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा ——प्रार्थी

बनाम

श्री जगदीश पिता रामेश्वर गाडरी निवासी गठिला खेड़ा, तहसील भीलवाड़ा ——अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री दिनेश चन्द्र तिवाड़ी – राजकीय अभिभाषक

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु

–: आदेश :–

दिनांक : 09.04.2025

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) भीलवाड़ा श्री अरूण कुमार जैन ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 35ए/2016 उनवान राज0 राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा बनाम बनाम श्री जगदीश पिता रामेश्वर गाडरी निवासी गठिलाखेड़ा, तहसील भीलवाड़ा के विरूद्ध एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 84, 86 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उनके न्यायालय में विचाराधीन है। श्री अरूण कुमार जैन ने अपने पत्र में अंकित किया कि उक्त प्रकरण में जब वे तहसीलदार भीलवाड़ा के पद पर पदस्थापित थे, तब उन्हीं के द्वारा उक्त प्रकरण बतौर तहसीलदार तैयार कर प्रार्थी की हैसियत से न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वर्तमान में उनके द्वारा उक्त वाद की सुनवाई किया की जा रही है। जो विधिक रूप से उचित नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाद के अनुसार उक्त प्रकरण श्री अरूण कुमार जैन ने बतौर तहसीलदार भीलवाड़ा प्रार्थी की हैसियत से यह प्रकरण विपक्षी के विरूद्ध उपखण्ड न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया है। वर्तमान में श्री अरूण कुमार जैन तहसीलदार के पद से पदोन्नत होकर सहायक कलक्टर (मु0) भीलवाड़ा के पद पर पदस्थापित है। ऐसी सुरत में जिस प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को न्यायिक निर्णय हेतू प्रस्तुत किया है, वही व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के पद पर पदस्थापित हो जाने से उनके द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बाबत् पत्रावली हस्तान्तरण स्वीकार जाकर उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतू अन्य समकक्ष न्यायालय में अन्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। सहायक कलक्टर मुख्यालय (भीलवाड़ा) के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 35ए/2016 अन्तर्गत धारा 84, 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 को अग्रीम सुनवाई एवं निस्तारण हेतू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को अन्तरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। उक्त आदेश की प्रति उक्त दोनों न्यायालय एवं तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित हो। प्रकरण फैसल शुमार हो।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा